कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

प्रार्थी श्री देवा
कस्म मुकदमा धारा–111, 128 भू–राजस्व अधिनियम

विपक्षी श्री कालु व अन्य
प्रकरण संख्या 25 / 2023

	कार्यवाही विवरण
	–:आदेश:–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा नाड पटवार हल्का ओरवाडीया की खाता संख्या 24 कुल किता 05 कुल रकबा 3.71 हैक्टेयर व खाता संख्या खाता संख्या 23 कुल किता 02 रकबा 0.29 हैक्टेयर भूमि की राजस्व रेकार्ड पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थरगढी किये जाने हेतु पत्थर मय मजदूर खडडा करने एवं रोपने के लिये तहसीलदार को उपलब्ध करवाएं। तथा पत्थरगढी शुल्क तहसीलदार, भू.अ.नि. व पटवारी का एक दिन का वेतन मय वाहन खर्च राजकोष में जमा करे। पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये जाकर मौके पर मौतबीरान की उपस्थिति में प्रार्थी की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सलूम्बर के नाम जारी की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करे।

निर्णय दिनांक 13/01/25 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सलुम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

प्रार्थी श्री देवा
कस्म मुकदमा धारा–111, 128 भू–राजस्व अधिनियम

विपक्षी श्री कालु व अन्य
प्रकरण संख्या 25/2023

कार्यवाही विवरण

–::निर्णय::–

दिनांक 13/01/25

उपस्थितः– श्री राजकुमार जैन अधवक्ता–प्रार्थी
पेरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर अंकित किया कि मौजा नाड पटवार हल्का ओरवाडीया तहसील सलम्बर मे प्रार्थी एवं विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि स्थित है जिसके खाता संख्या 53 कुल किता 12 कुल रकबा 3.71 हैक्टेयर व खाता संख्या 21 कुल किता 2 कुल रकबा 0.26 हैक्टेयर होकर उक्त दोनो खातो मे प्रार्थी का 1/3 हिस्सा व विपक्षी का संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा है। तथा मौजा नाड पटवार हल्का ओरवाडीया की खाता संख्या 24 कुल किता 05 कुल रकबा 3.71 हैक्टेयर व खाता संख्या खाता संख्या 23 कुल किता 02 रकबा 0.29 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का पुर्ण हिस्सा है व विपक्षी का कोई हिस्सा नही है। यह की मौके पर विवाद बना हुआ है क्योंकि विपक्षी मौके पर कब्जा को नही छोडना चाहता है। उक्त जमीन के बाबत् राजस्व वाद या विभाजन का पेन्डिग नही है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के आराजीयात की भूमि पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये समन सूचित किया गया। विपक्षी सं. 1, 2 व 4 लगायत 10 बावजूद सूचना के न्यायालय मे गैर हाजिर रहने से आदेशिका दिनांक 15–05–2024 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने आदेशिका दिनांक 10–12–2024 को अंकित किया कि विपक्षी संख्या 3 के खिलाफ कोई कार्यवाही नही चाहते है। विपक्षी सं. 11 भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर ने जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थी के आराजीयात की पत्थरगढी का आदेश किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वे विपक्षी सं. 3 के खिलाफ कोई कार्यवाही नही चाहते है अतः प्रार्थी के आराजीयात की भूमि की पत्थरगढी का आदेश फरमावे। विपक्षी सं. 11 की बहस अपने जवाब के अनुसार रही।

बहस मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र मे वर्णित मौजा नांड पटवार हल्का ओरवाडीया की खाता संख्या 24 कुल किता 05 कुल रकबा 3.71 हैक्टेयर व खाता संख्या खाता संख्या 23 कुल किता 02 रकबा 0.29 हैक्टेयर भूमि का प्रार्थी रेकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी अपने उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर